RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.
VIDYUT BHAWAN, JANPATH, JYOTI NAGAR, JAIPUR – 302 005.
PHONE NO. 0141-2740381/82,
Website: www.rvpn.co.in

No. RVPN/Karmik/F.5(A)20 /D. 147 Jaipur, dated 8/6/16

The Chief Engineer ( )
The Superintending Engineer ( )
Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd.,

Sub:- Ban on strike under RESMA Act. 1970 by the State Government.

In compliance to State Government Notification No. 20(2) Home -9/ 12/ pt. dated 30.05.2016 issued by Home (Gr.9) (copy enclosed), the services rendered by the employees of power sector companies at Sub-stations, Grid Sub stations, Generating Stations, Rajasthan State load Dispatch Centre and related services has been declared as essential services under RESMA Act, 1970 and thereby prohibiting strike in aforesaid services till 30.11.2016.

Encl:- As above

8/6/16
(Pukhraj Sen)
Secretary(Admn.)

Copy to the following for information and necessary action:
1. The Secretary (Admn.), JVVNL / AVVNL/ Jd.VVNL.
2. The Joint Director (P&A), RVUNL Jaipur.
3. Public Relation Officer, RVPN, Jaipur.
4. The Executive Engineer (220 KV GSS), RVPN, _____.
5. Notice Board.

Amitabh Gupta 8/6/16
(Amitabh Gupta)
Jt. Director Personnel

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह–9/12 पार्ट जयपुर, दिनांक : 30–05–2016

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निम्न आदेश जारी किया जाना लोकहित में आवश्यक है।

यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.20(2)गृह–9/12 पार्ट, जयपुर, दिनांक 30–05–2016 द्वारा **ऊर्जा विभाग,राजस्थान सरकार व उसके नियंत्रणाधीन कम्पनियों : (1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., (2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.; (4) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं (5) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. व इन सभी से सम्बन्धित सब–स्टेशन, ग्रिड सब–स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पेच लोड सेण्टर, प्रसारण स्टेशन व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं** को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 की धारा (2)(1)(क)(iv) के प्रयोजन के लिए "आवश्यक सेवा" घोषित कर दिया है।

अतः राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से **ऊर्जा विभाग,राजस्थान सरकार व उसके नियंत्रणाधीन कम्पनियों : (1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., (2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., (4) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं (5) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. व इन सभी से सम्बन्धित सब–स्टेशन, ग्रिड सब–स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पेच** लोड सेण्टर, प्रसारण स्टेशन व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से **संबंधित "आवश्यक सेवाओं"** में हड़ताल किये जाने को अधिसूचना दिनांक 02–12–2015 के द्वारा दिनांक 31–05–2016 की अवधि तक प्रतिषेध किया गया, को अधिनियम की धारा 3 उपधारा (3) के अन्तर्गत **लोकहित** में हड़ताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 30–11–2016 तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार बोरड)
शासन संयुक्त सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
7. निजी सचिव, सचिव–प्रथम, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 30–05–2016 के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन संयुक्त सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग

resma(Energy)